झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–144 वर्ष 2020

राहुल कुमार सिंह
उर्फ राहुल कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए:– श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, ए0पी0पी0

04/दिनांकः 02 जुलाई, 2020

1. यह पुनरीक्षण, आपराधिक (किशोर) अपील सं0 62/2019 में पारित दिनांक 07.01.2020 के आदेश के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, चतरा ने याचिकाकर्त्ता (विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाला किशोर) की जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

2. याचिकाकर्त्ता/किशोर के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि किशोर दिनांक 17.08.2019 से हिरासत में हैं और अन्य सह–अभियुक्तों को जमानत दे दी गई है। यह निवेदन किया गया है कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सामाजिक जाँच रिपोर्ट में काई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

3. विद्वान ए0पी0पी0 ने विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्त्ता–किशोर का मामला सह–अभियुक्तों के समान नहीं है, जिन्हें जमानत दी गई है। यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्त्ता के कब्जे से गोली भरा हुआ देशी पिस्तौल बरामद की गई थी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्त्ता एक परिपक्व दिमाग का व्यक्ति है।

4. सुना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता के कब्जे से एक देश निर्मित भरी हुई पिस्तौल बरामद की गई थी, तद्नुसार, इस स्तर पर, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत पर छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

हालांकि, यदि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर जाँच समाप्त नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्त्ता जमानत के लिए नए सिरे से प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है।

5. पूर्वोक्त दिशा–निर्देश के साथ, पुनरीक्षण को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता न्याया0)